

30<sup>12</sup>/<sub>2</sub>

पत्रावली सल्लाह । वकिल फरिक्तेन उपस्थित ।  
मूल वाद में प्रार्थना पत्र 07 R. 11 CPC स्विकार  
किया जाकर मूल वाद विधी द्वारा वर्जित  
होने से खारिज किया जा चुका है । अतः  
अन्वय निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 24.8.2024  
को मूल वाद खारिज हो जाने से शर्द किया  
जाता है पत्रावली नम्बर से कद हीनर  
वाद तकमिल फाजिल वफत हो।

अहाबक कलक्टर  
(स.स.ओ.) जायस